लोक–सुनवाई का वृत

सर्वश्री विजय सिंह, ग्राम+पोस्ट– खुटहा, थाना– बड़हिया, जिला– लखीसराय द्वारा किउल नदी स्थित मौजा– महिसोना, रेत ब्लॉक संख्या– 02 (कुल क्षेत्रफल– 5.24 हेक्टेयर), जिला– लखीसराय में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 05.07.2023 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे ई–किसान भवन, प्रखंड परिसर रामगढ़ चौक, जिला– लखीसराय** में लोक–सुनवाई की गयी।

यह लोक–सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/ 2083/ 2022, दिनांक 11.01.2023 के आलोक में श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्ता एवं अपर दंडाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'', तथा ''दैनिक जागरण'' के माध्यम से दिनांक **30.05.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री एस.पी.राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, बरौनी, बेगूसराय के द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करतें हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतू लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतू अनुरोध किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री बिपिन प्रसाद ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरणीय दायित्व आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी स्थित मौजा– महिसोना, रेत ब्लॉक संख्या– 02 (कुल क्षेत्रफल– 5.24 हेक्टेयर), जिला– लखीसराय में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा मेसर्स विजय सिंह को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या– 02 में प्रतिवर्ष 65,081 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹3.37 करोड़ (नीलामी लागत सहित) अनुमानित है। प्रस्तावित खनन योजना का क्षेत्र वन विभाग के अतंर्गत भीम बांध से लगभग 3 (तीन) किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है।

2. बालू खनन खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में विशेष उपाय दर्शाएं गए हैं।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं होगा। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
4. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतू अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
5. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
6. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
8. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षो तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
9. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्रित किए गए खनिज (बालू) को ही निर्गत किया जाएगा।
10. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतू प्रतिदिन कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय--समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री पप्पु यादप, पिता– श्री बिरंची यादव, ग्राम– महिसोना, जिला– लखीसराय द्वारा वाहनों के द्वारा उड़ने वाले धुलकण एवं प्रेशर हार्न के द्वारा होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण की व्यवस्था की जानकारी मांगी गई।	पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा यह बताया गया कि सामाजिक पर्यावरणीय दायित्व के अंतर्गत परियोजना में लगने वाले राशि का 2 प्रतिशत (लगभग 7 लाख) को वृक्षारोपण आदि के कार्य में खर्च किया जाएगा। रास्तों पर कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा एवं आवश्यकता होने पर आवृति भी बढ़ाया जाएगी। बालू ढुलाई के वाहनों को प्रेशर हार्न का उपयोग वर्जित रहेगा तथा उन पर घाट का नाम अंकित रहेगा।
2.	श्री कन्हैया सिंह, पिता– कृष्ण नंदन सिंह, ग्राम– महिसोना, जिला– लखीसराय के द्वारा घाट को सुरक्षित रखने के लिए नदी के किनारे वृक्षारोपण सुनिश्चित करने की मांग की गई।	पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा यह बताया गया कि वृक्षारोपण के लिए लगभग ₹11.7 लाख की राशि निर्धारित है। वाहनों के आवागमन के लिए बनाए जाने वाले कच्चे रास्तों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके साथ ग्रामीणों के सुझाव पर नदी, बगीचे, स्कूल, पंचायत आदि स्थानों पर भी वृक्षारोपण किया जाएगा।
3.	श्री राजीव यादव, ग्राम– महिसोना, जिला– लखीसराय के द्वारा बालू खनन परियोजना में स्थानीय रोजगार की जानकारी मांगी गई।	खनन के कार्य में गांव के आसपास के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाईजर, मजदूर, ढुलाई, चालक, रात्रि प्रहरी, रसोईया, वनपोषक आदि शामिल होंगे। खनन कार्य के लिए होने वाले भर्ती के संबंध में स्थानीय स्तर पर परियोजना आरंभ होने से पूर्व होने वाली आम सभा में लोगों को रोजगार संबंधित सूचना दी जाएगी।
4.	श्री हरि कांत कुमार, ग्राम– महिसोना, जिला– लखीसराय के द्वारा वृक्षारोपण के लिए निर्धारित जमीन के संबंध में जानकारी मांगी गई।	पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा वृक्षारोपण योग्य भूमि की जानकारी परियोजना आरंभ होने से पूर्व होने वाली आम सभा में लिखित रूप में देने को बताया गया।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के

प्रदूषण को नियंत्रण हेतू वर्णित उपायों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर प्रदूषण को नियंत्रित करने की कार्रवाई की जाएगी।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,
बेगूसराय।

अपर समाहर्ता
लखीसराय।

उपस्थिति सूची

मेसर्स विजय सिंह, ग्राम+पोस्ट– खुटहा, थाना– बड़हिया, जिला– लखीसराय के द्वारा लखीसराय जिला के अन्तर्गत मौजा– महिसोना, रेत ब्लॉक संख्या– 02 (कुल क्षेत्रफल– 5.24 हेक्टेयर), जिला– लखीसराय में प्रस्तावित बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व ई–किसान भवन, प्रखंड परिसर रामगढ़ चौक, जिला– लखीसराय के प्रांगण में दिनांक 05.07.2023 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित लोक–सुनवाई में स्थानीय लोगों एवं पदाधिकारीगण की स्वःहस्ताक्षरित उपस्थिति–

क्र0सं0	नाम / पदनाम	पता	हस्ताक्षर
1	श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्ता	जिला- लखीसराय	[signature] 05/07/23
2	श्री एस. पी. राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भागलपुर	[signature] 05.07.2023
3	श्री गौतम कुमार सिन्हा, B.D.O. रामगढ़ चौक, लखीसराय	रामगढ़ चौक, लखीसराय।	[signature] 05/07/23
4	" अमर कुमार शर्मा C.O. रामगढ़ चौक	" "	Aman 05.07.23
5	श्री सुनील कुमार खान निरीक्षक, लखी०	जिला- लखीसराय	[signature] 05/07/2023
6	Bipin Prasad OCOHO Enviro		[signature]
7	विजय सिंह	[illegible]	Vijay Singh
8	राजकुमार राय	महिसोना	R.K. Rai
9	आकाश राज	[illegible]	[signature]
10	[illegible]	[illegible]	आकाश राज
11	मनोज महतो	महिसोना	मनोज महतो
12	करण कुमार	महसोना	करण कुमार
13	आर्यन राज	महिसोना	Aaryan Raj

14	गुलशन कुमार	खैरी	Gulstan Kumar
15	रवि कुमार	खैरी	Ravi Kumar.
16	अमन कुमार	खैरी	Aman Kumar.
17	पप्पु यादव	महिसोना	Pappu yadav
18	Gokul Kumar	महिसोना	Gokul Kumar
19	बिहारी यादव	खैरी	Bihari yadav
20	Jhrikant Kumar.	Khairi	Jhrikant Kumar
21	प्रमोद कुमार	खैरी	Pramod Kumar
22	कुन्दन कुमार	महिसोना	कुन्दन कुमार
23	Congress Kumar	महिसोना	Congress Kumar
24	नितिश कुमार	महिसोना	नितिश कुमार
25	Ganesh Kumar	महिसोना	Ganesh Kumar
26	डुनडुन यादव	महिसोना	डुनडुन यादव
27	ज्योतिष	महिसोना	ज्योतिषकुमार
28	सुड्डु	महिसोना	सुड्डु कुमार
29	महेश महतो	महिसोना	महेश महतो
30	दिनेश राम	महिसोना	दिनेशराम
31	राजवसिंह	महिसोना	राजीव सिंह

32	अंजय कुमार	महिमोना	अंजय कुमार
33	Amit Kumar	Mahigona	Amit Ku
34	आदित्य कुमार	महिमोना	आदित्य
35	चुन्नाई राम	महिमोना	चुन्नाई राम
36	कन्हैया कुमार	महिमोना	कन्हैया कुमार
37.	आदित्य राज	खुटहा	Aditya Raj
38	सत्यजीत कुमार	खुटहा	Saty[illegible]
39	सत्यपाल कुमार	खुटहा	Satyapal Kumar
(40)	मुरारी कुमार	नौरंगा	मुरारी कुमार
41	विकास कुमार	पचमहला	विकास कुमार
42	योगेश कुमार	पचमहला	योगेश कुमार
43	श्याम किशोर शर्मा	पचमहला	श्याम किशोर शर्मा
44	चंद्रमणि कुमार	गोरुआ पुरसंडा	चंद्रमणि कुमार
45	राजेश कुमार	रघौरा	राजेश कुमार
46	गोपाल कुमार	गोरुआ पुरसंडा	गोपाल कुमार
47.	सहदेव शर्मा	पचमहला	सहदेव शर्मा
48	पंकज कुमार	मडवारिया	पंकज कुमार
49	विजय सिंह	रघु रहाउद्दे	Vijay Singh

50	इन्द्रदेव यादव	[illegible]	
51	Rohit kumar	खुटहा डीह	[signature]
52	Sudhakar Kumar	खुटहा डीह	[signature]
53	Prince kumAr.	खुटहा डीह	Prince.
54	vikash kumar	खुटहा डीह	[signature]
55	Saurav [illegible]	Pachmahla	[signature]
56	Ripu singh.	Khutha	Ri